परियोजना का नाम – 126 किमी ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई बी० जी० रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु अतिरिक्त (रतूड़ा सिविल) भूमि 1.455 है० हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड (रेल मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार का उपक्रम) को उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत 126 कि.मी. ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई बी.जी. रेल लाईन परियोजना का निर्माण कार्य सौंपा गया है। रेलवे बोर्ड का पत्रांक: 2004/W-I/RVNL/15 Pt-1 Dated: 05.09.2011 (संलग्नक– A) इसका संरेखण उत्तराखण्ड राज्य के पाँच जनपदों देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग तथा चमोली से गुजरता है। विस्तृत अध्ययन के लिए डेस्क अध्ययन और फील्ड विजिट के आधार पर तीन संरेखण विकल्पों का चयन किया गया। एक विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन (बहु मानदंड विश्लेषण) एमसीए चुने गए 3 संरेखण के बीच विभिन्न मापदंडों जैसे कि संरचना, परिचालन और रखरखाव, पर्यावरण (वन सहित) और सामाजिक प्रभाव, भूवैज्ञानिक, लागत और वित्तीय, को लागू करते हुए किया गया और संरेखण को सर्वथा उपयुक्त पाया गया है। प्रस्तावित संरेखण सामाजिक दृष्टिकोण से मुख्यतः पाँच नगरों ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग तथा कर्णप्रयाग को लिंक करते हुए विस्तृत भूगर्भीय सर्वेक्षण के उपरान्त भूगर्भीय संवेदनशीलता के सम्भावित प्रभावों को न्यूनतम रखते हुए अन्तिम रुप दिया गया है। जोकि गंगा, अलकनन्दा घाटी में स्थित है। यह संरेखण देशान्तर 78° 15′ E से 79° 15′ E के मध्य एवं अक्षांश 30° 5′ N से 30° 20′ N के मध्य स्थित है। संरेखण का प्रारम्भिक बिन्दु ऋषिकेश रेलवे स्टेशन देश के सभी महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ा हुआ है

ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना भारत की एक राष्ट्रीय एवं सामरिक महत्व की विकास योजना है। यह परियोजना लोक प्रयोजन के लिए उत्तराखण्ड राज्य में अवसंरचना उपबन्धित कराने के लिए भारत सरकार द्वारा राजपत्र असाधारण भाग–II खण्ड 3 – उप–खण्ड (ii) में दि० 24.02.2014 को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित की गयी है। (संलग्नक–B)

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित तीर्थ स्थलों जिसमें चार धाम (यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी) हेमकुण्ड साहिब व फूलों की घाटी तक पहुँच को सुगम बनाना, नये व्यापार केन्दों को जोड़ना सम्मिलित है। जिससे वर्षा ऋतु में बार–बार होने वाली भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से सेना व अन्य पैरा मिलिट्री बलों के सदस्यों का आवागमन कम समय में सुरक्षित ढंग से व सुविधापूर्वक होने का उत्तम विकल्प उपलब्ध रहेगा। इस रेल लिंक के विकसित होने से देशी– विदेशी पर्यटक उत्तराखण्ड के दूरस्थ एवं दुर्गम दर्शनीय स्थलों का भी आनन्द उठा सकेंगे जिससे पर्यटन राजस्व में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञ परिस्थितियों में सुधार व सुविधा होने से दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने हेतु स्वेच्छा से सहमत होंगे।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत सुरंग संख्या–14 के पोर्टल पी–1 का स्थायित्व सुनिश्चित करने एवं प्रस्तावित तिलणी रेलवे स्टेशन के यार्ड में प्रयोग हेतु रतूड़ा सिविल की 1.455 है० वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर प्रेषित है।

मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि० ऋषिकेश
हिमांशु बडोनी / HIMANSU BADONI
मुख्य परियोजना प्रबंधक / Chief Project Manager
रेल विकास निगम लि0/ Rail Vikas Nigam Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम)/ A Govt. of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 249201

परियोजना निदेशक / पैकेज–08
रेल विकास निगम लि० ऋषिकेश

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

****

No. 2004/W-I/RVNL/15 Pt I

New Delhi, dated 05.09.2011

Managing Director,
Rail Vikas Nigam Limited,
Ist Floor, August Kranti Bhawan,
Bhikaji Kama Place,
New Delhi-110066.

Sub: Transfer of projects to RVNL for execution.
Ref: (i) RVNL's letter no. PP&D/DO/RVNL/Dimapur-Kohima/2010 dated 26.07.2011.

Board have decided to transfer the following project of Northern Railway to RVNL for execution:

Name of the project	Length (in km.)	Latest Anticipated Cost (₹ in crore)
Rishikesh -Karnaprayag New Line	125.09	4295.30

In view of the above, RVNL may take necessary action for expeditious execution of the above project.

(Virender Kumar)
Director/Works-I

Copy to: (i) General Manager, NR/New Delhi for information.
(ii) ED/F(B) Railway Board for information.

2011/rvnl/letter

DGM/P-1/RVNL
उप महाप्रबन्धक (पी-1)
रेल विकास निगम लि०

2

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2014/फाल्गुन 6, 1935

No. 448] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2014/PHALGUNA 6, 1935

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

का.आ. 528(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खण्ड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाउल्लिखित निम्नलिखित परियोजना को लोक प्रयोजन के लिए उत्तराखंड राज्य में अवसंरचना उपबंधित कराने के लिए विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है .

सारणी

क्र.सं.	परियोजना का नाम
(1)	(2)
1.	ऋषिकेश-कर्णप्रयाग (नई लाइन)

[फा.सं. 2014/डब्ल्यू-1/आरवीएनएल/एनएल/1]

वेद प्रकाश डुडेजा, कार्यपालक निदेशक (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2014

S.O. 528(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following project, as mentioned in column (2) of the Table below as the Special Railway Poject, in the State of Uttarakhand for providing infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

S. No.	Name of the Project
(1)	(2)
1.	Rishikesh-Karnaprayag (New Line)

[F. No. 2014/W-1/RVNL/NL/1]

VED PARKASH DUDEJA, Executive Director (Works)

DGM/P-1/RVNL

उप महाप्रबन्धक (पी-1)

रेल विकास निगम लि०

788 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.